



नोटिस 2020-21 / Notice 2020-21

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा – 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

(वेबसाइट: www.bankofbaroda.in)

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda – 390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051

(Website: www.bankofbaroda.co.in)

नोटिस

NOTICE

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से गुरुवार, दिनांक 08 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

आम कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2021 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 2: पूंजी-अर्जन योजना 2021-22

निम्नलिखित संकल्प पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना.

“संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्यक्षीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) और / अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, 08th July, 2021 at 11.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2021, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 2: Capital Raising Plan 2021-22

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a **Special Resolution**.

“RESOLVED THAT subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities



अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा ₹ 2000/- करोड़ (₹ दो हजार करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, ₹ 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सृजन, ऑफर, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) / फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ) / अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के ₹ 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो।

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ) / अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त, अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 (**“आईसीडीआर विनियम”**) के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे”.

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं.”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं.”

from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad such number of equity shares of face value of ₹ 2/- each of the Bank including premium aggregating up to ₹ 2000/- crore (Rupees Two Thousand crore) by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of ₹ 3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

“RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**“ICDR Regulations”**) and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”



आगे यह संकल्प पारित किया गया कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के मुताबिक अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियम में समय-समय पर अनुमति दी गई है।
- ख) बैंक आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बड़े पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।
- ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू होता है, परंतु अधिनियम और अन्य विनियमों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर व बँठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधकों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) , Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche,

संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभूतियों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहसीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें।”

मद संख्या 3: आगे लाई गई हानि के समंजन हेतु शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार किया जाना और उचित होने पर इसे पारित करना.

“बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3 (2 बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर एक्ट) के अनुच्छेद 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 जिसे वित्तीय सेवाएं विभाग के राजपत्र अधिसूचना क्रमांक सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 (एस.ओ.1200ई) दिनांक 23.02.2020 में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2020, यथासंशोधित, के रूप में संदर्भित किया गया है, के अनुच्छेद 21, जिसमें सभी वैधानिक संशोधन अथवा उनका पुन विनियमन शामिल है, के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार एवं ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिनका इस संबंध में अनुमोदन आवश्यक है, के अधीन रहते हुए बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की ₹ 11,048.44 करोड़ की संचित हानि को समंजन की तारीख को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में बकाया शेष का उपयोग करते हुए समंजित करने के लिए एतद् द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान करने तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष

issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item Number 3: Appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss

To consider and if through fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“Act”), Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 (‘BR Act’), Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the bank’s accumulated losses of ₹ 11,048.44 crore as at 31st March, 2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of



2021-22 के दौरान लेखे में लेने का निश्चय किया जाता है।”


“इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी किए जाने के लिए बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी समिति अथवा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अपने विवेकानुसार इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा शंकाओं के समाधान के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय समस्त कृत्य, कार्य, मामलों तथा अन्य चीजों के लिए प्राधिकृत किया जाता है”

मद संख्या 4: एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे “विनियमन अधिनियम” कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख “योजना” के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख “विनियम” के रूप में किया गया है) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार (इसका उल्लेख **भारत सरकार के दिशानिर्देशों** के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 (इसका उल्लेख “**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना**” के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

“**यह संकल्प पारित किया जाता है** कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव किया गया है जिन्हें एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो निर्वाचन की तारीख के अगले दिन से अपना कार्यभार संभालेंगे और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी।”

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा


संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 07 जून, 2021

नोट:

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक
- कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की स्थिति और सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंधों के मद्देनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने आम परिपत्र

Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial year 2021-22.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board or officials for the same purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle any question, difficulties or doubts that may arise in this regard.”

Item Number 4: Election of One Shareholder Director

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification” and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 20th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to “GOI Guidelines “and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT one Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day next to the date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

FOR BANK OF BARODA



Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 07 June, 2021

NOTES:

- ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
- In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social

संख्या 2/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से कंपनियों को 31.12.2021 तक की अवधि तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है. एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप ही सेबी ने भी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के माध्यम से रियायतें दी हैं.

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है. **25वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, बड़ौदा समझा जाए.**

2. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, इस एजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा शेयरधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 03 जुलाई 2020 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

3. व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2, 3 एवं 4 पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

4. एजीएम प्रतिभागिता

बैंक ने केफिन टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के लिए नियुक्त किया है. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

- ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है.
- बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है.
- सी) निकाय कॉर्पोरेट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं.
 - शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले

distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, companies are permitted to hold their AGM through VC/OAVM till the period 31.12.2021. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021.

- In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the Bank being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 25th AGM shall be the Head Office, Vadodara of the Bank.**

2. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 4.00 p.m. on 03rd July 2021.

3. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 2, 3 & 4 is annexed hereto.

4. AGM Participation

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

- a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
- b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
- c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
 - The Shareholders can join the AGM 15 minutes before the time of the



एजीएम में शामिल हो सकते हैं। ई-एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं

- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो के आधार पर प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों (सदस्यों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है। यह ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (M/s KFin Technologies Private Limited) की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-एजीएम से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

- शेयरधारक को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक इसे <https://emeetings.kfintech.com/> पर रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए “AGM-Video Conference & Streaming” आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम और बैंक का नाम चुनना होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम /फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके। शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में “स्पीकर रजिस्ट्रेशन” के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.

- There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively is also available on the website of e-voting agency M/s KFin Technologies Private Limited at the website address <https://evoting.kfintech.com>

5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

- Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through video conferencing platform provided by KFin Technologies Private Limited. Shareholders may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> by clicking the Icon of “AGM-Video Conference & Streaming” by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/Firefox for better experience.
- Further Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under “Speaker Registration”

- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें.
 - कृपया नोट करें कि समस्या /विचार/प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 01 जुलाई 2021 तक शेयर धारित हों. "एजीएम क्वेश्चन" विंडो 03 जुलाई 2021 को प्रातः 10:00 बजे सक्रिय किया जाएगा जो 05 जुलाई 2021 को सायं 5:00 बजे तक खुला रहेगा.
 - वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक सदस्यों को <https://evoting.kfintech.com/> पर लॉग-इन करना होगा और "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक कर अपने नाम डीमैट खाता संख्या /फोलियो संख्या ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए सबमिट करना होगा. स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा जिसे एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए. ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने 03 जुलाई 2021 से 05 जुलाई 2021 की अवधि के दौरान अपने आप को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल अपने विचार रखने /प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.
 - ऐसे शेयरधारक जो विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरणों का उपयोग करते हुए केफिटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://emeetings.kfintech.com> पर लॉगिन कर देख सकते हैं.
- 6. मतदान का अधिकार**
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.
- बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.
- 7. रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**
- बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा
- Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
 - Please note that, Shareholder's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 01st July 2021. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 03rd July 2021 till 5.00 PM on 05th July 2021.
 - Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the AGM meeting. **Those shareholders who have registered themselves as speakers during 03rd July 2021 to 05th July 2021, will only be allowed to express their views/ask questions.**
 - Shareholders who are not able to join this Meeting over **video conferencing will** be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at <https://emeetings.kfintech.com> using their remote e-voting credentials.
- 6. Voting Rights:**
- In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**
- As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.
- 7. Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders:**
- Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration)



कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शुक्रवार, 02 जुलाई 2021 से गुरुवार, 08 जुलाई 2021 तक (दोनों दिन सहित)** 25 वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा। तदनुसार वे शेयरधारक जिनके पास **गुरुवार, 01 जुलाई, 2021** (निर्दिष्ट तारीख) तक के शेयर हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक के एजेंडा 1, 2 एवं 3 के लिए मत देने के लिए सक्षम होंगे।

8. एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु विनिर्दिष्ट /कट-ऑफ तारीख:

नोटिस में उल्लिखित अनुसार केंद्र सरकार के निदेशक से भिन्न बैंक के एक अन्य निदेशक के चुनाव अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने** के उद्देश्य से चुनाव में भाग लेने वाले शेयरधारकों की सूची को अंतिम रूप से तैयार करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 04 जून, 2021** को विनिर्दिष्ट /कट-ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित करने के निर्णय लिया गया है।

9. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कैफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को रिमोट ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

बी. **रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल सोमवार, 05 जुलाई, 2021 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, 07 जुलाई, 2021 को शाम 5.00 बजे तक पूरे समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।**

सी. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **गुरुवार, 01 जुलाई, 2021** को मूर्त या अमूर्त (डिमाटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कार्यसूची मद संख्या 1, 2 एवं 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **शुक्रवार, 04 जून, 2021** को मूर्त या अमूर्त (डिमाटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कार्यसूची मद संख्या 4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

डी. **आरटीए पोर्टल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश (डिमाटे एवं फिजीकल शेयरधारकों के लिए) निम्नानुसार हैं:-**

- जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **05 जुलाई, 2021** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : <https://evoting.kfintech.com>
- लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें।

Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday, 02nd July 2021 to Thursday, 08th July 2021 (both days inclusive)** for the purpose of 25th Annual General Meeting. Accordingly, the shareholders holding Bank's Shares as on **Thursday, 01st July 2021** will be authorized to attend and vote for the Agenda 1, 2 & 3 of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM.

8. Specified/Cut-Off Date for Election of One Shareholder Director:

It has been decided to fix **Friday, 04th June 2021** as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

9. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFIn Technologies Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Monday, 05th July 2021 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Wednesday, 07th July 2021 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional.**

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Thursday, 01st July 2021**, may cast their vote electronically for Agenda item 1, 2 & 3.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 04th June 2021**, may cast their vote electronically for Agenda item 4.

d) **The instructions for remote e-voting through RTA website (for Demat and Physical Shareholders) are as under:**

- The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: <https://evoting.kfintech.com> on opening of the same on **05th July 2021** at 9.00 a.m.
- Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

- iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
- iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई-मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**
- v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, **निर्दिष्ट तारीख** (कार्यसूची मद 1, 2 एवं 3 के लिए 01 जुलाई, 2021 और कार्यसूची मद 4 के लिए 04 जून, 2021) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. कार्यसूची मद 1 एवं 2 के लिए शीर्ष पर ASSENT अथवा DISSENT को क्लिक करने के द्वारा शेयरधारक के पास पर सभी संकल्पों के लिए एक बार में ही वोट करने का विकल्प होगा. वैकल्पिक तौर पर आप प्रत्येक संकल्प के लिए ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक कर अलग-अलग वोट कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. कार्यसूची मद 4 के लिए शेयरधारक के पास अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने का विकल्प होगा. आप केवल एक उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**
- vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करना होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.
- viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.
- iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**
- v. You need to login again with the new credentials.
- vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (01st July 2021 for Agenda Item 1, 2 & 3 and 04th June 2021 for Agenda Item 4) will appear. For Agenda Item 1 & 2, Shareholder will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. For Agenda item 4. Shareholder will have option to vote for the candidates of your choice. You can select only one Candidate **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**
- vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**
- viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.



- ix. बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है।
- xi. ऐसे शेयरधारक, जो 25वीं एजीएम के लिए नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें।
- xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट :बैंक ऑफ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ई-मेल raju.sv@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 25th AGM / Annual Report 2020-21 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Kfin Technologies Pvt. Ltd, (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).
- इ) डिपॉजिटरी के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें।
- डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया:
- e) **The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:**
- In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.
- Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **Depositories:**

लॉगिन प्रणाली- सीडीएसएल	लॉगिन प्रणाली- एनएसडीएल
<p>1) उपयोगकर्ता, जिन्होंने सीडी-एसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के विकल्प का चयन किया है, अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. उपयोगकर्ताओं को ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल है. https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं. लॉगिन आइकन पर क्लिक करें तथा नए सिस्टम Myeasi का चयन करें.</p> <p>2) सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है, ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने तथा मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा. इसके अतिरिक्त सभी सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल /कार्बी/लिक इन टाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें.</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट पर पंजीकृत नहीं है, तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है.</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रविष्ट कर सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं. प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा. सफल अधिप्रमाणन के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने, जहां ई-वोटिंग चल रही है तथा सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगा.</p>	<p>1) मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता अपने वैयक्तिक कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsd.com पर जा सकते हैं. ई-सर्विस होम पेज पर 'IDeAS' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' में 'लाभार्थी स्वामी' के आइकन पर क्लिक करके आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पा.सर्वर्ड दर्ज करने को कहा जाएगा. सफल अधिप्रमाणन के बाद वैल्यू ऐडेड सेवाओं के अंतर्गत आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे. ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-voting" पर क्लिक करें, तब आप ई-वोटिंग के पेज को देख पाएंगे. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें, तब आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने एवं मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए, ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रि डा-यरेक्ट किया जाएगा.</p> <p>2) अगर आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण विकल्प https://eservices.nsd.com पर उपलब्ध है. "आइडियाज पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" या https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं. अपने वैयक्तिक कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउजर में निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsd.com/ टाइप कर खोलें एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने पर आइकन पर क्लिक करें. एक नई स्क्रीन प्रदर्शित होगी. आपको आपका यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ धारित डीमैट खाते का 16 अंकों का खाता संख्या) पासवर्ड /ओटीपी तथा सत्यापन कोड जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, दर्ज करना होगा.</p>

Login Method – CDSL	Login Method – NSDL
<p>1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.</p> <p>2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/ NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>	<p>1) Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2) If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL</p>



	सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. जहां आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग के दौरान या वर्चुअल मीटिंग/वोटिंग में शामिल हो कर वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी.
--	--

	Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
--	--

महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए/ पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क करते हुए.
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक.	लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

एफ) डिपॉजिटरी सहयोगी के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

डिपॉजिटरी सहभागी के साथ डीमैट मोड में रखी गई प्रतिभूतियों के वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रणाली.

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग सुविधा विकल्प देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, या वर्चुअल मीटिंग/वोटिंग में शामिल होकर वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

10. वार्षिक आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ई-एजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे.

f) The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depository Participants:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

10. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

11. रिमोट ई-वोटिंग / बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

बैंक ने इस उद्देश्य के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव और स्वतंत्र सलाहकार को नियुक्त किया है जो बैठक की कार्यसूची की सभी मर्तों के संदर्भ में बैठक के दौरान आयोजित होने वाली रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे.

12. रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग का परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो कार्यदिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

13. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

क) लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही रजिस्ट्रार करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.

ग) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

14. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक ही खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

11. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries and Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank shall also act as Scrutinizer for both remote voting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

12. RESULTS OF REMOTE VOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin Technologies Pvt. Ltd.

13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Private Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

14. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The Shareholders holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.



15. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमीशन अथवा ट्रांसपोजिशन को छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि **01.04.2019 से ऐसी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक रूप में नहीं रखी जाएं**, अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को तुरंत अभौतिक रूप में परिवर्तित करा लें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं जहां उनका अपना डीमेट खाता है. अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं: (i) बाधारहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाण पत्रों की गुमशुदगी से बचाव (iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों को सीधे व त्वरित जमा कराया जा सकता है (iv) नामांकन सुविधा (v) एएसबीए/ आईपीओ आदि के जरिए सीधा आवेदन आदि.

16. पिछले वर्ष का दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश “अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित करें.

“अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम) से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखों को नीचे दिया गया है.

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश – अंतरिम / अंतिम	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
			बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2013-2014	अंतिम	25 जुलाई, 2021	20 अगस्त, 2021	02 अगस्त 2021
2	2014-2015	अंतिम	29 जुलाई, 2022	27 जुलाई, 2022	01 अगस्त, 2022
3	2015-2016	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	2016-2017	अंतिम	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
5	2017-2018	अंतिम	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं
6	2018-2019	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	2019-2020	शून्य	लागू नहीं		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम) से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, **requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019**. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/ IPO, etc.

16. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2013-14 (Interim) to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2013-14 (Final) onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No.	Financial Year	Dividend –Interim / Final	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
			Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2013-2014	Final	25 th July, 2021	20 th August 2021	02 nd August 2021
2	2014-2015	Final	29 th July, 2022	27 th July 2022	01 st August 2022
3	2015-2016	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
4	2016-2017	Final	06 th August, 2024	29 th July 2024	Not Applicable
5	2017-2018	Final	Not Applicable	04 th August 2025	Not Applicable
6	2018-2019	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
7	2019-2020	NIL	Not Applicable		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2013-14 (Final)



न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

<p>केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं. 1800 345 4001</p>	<p>निवेशक सेवाएं विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई-मेल :- investorservices@bankofbaroda.com</p>
---	---

17. शेयरधारकों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/ बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा सॉफ्ट कापी के रूप में भेज दी गई हैं। वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.in पर भी उपलब्ध है।

शेयरधारक, जो 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वार्षिक रिपोर्ट 2020 -21 से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं / स्पष्टीकरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे अपने प्रश्न / समस्या लिखित में विधिवत हस्ताक्षरित (डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी / फोलियो सं. के साथ) कर इस प्रकार भेजे कि बैंक को 05 जुलाई, 2021 तक अथवा उससे पहले प्राप्त हो जाए।

18. ऐसे शेयरधारक जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के साथ या भौतिक फोलियो आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

कोविड 19 महामारी के खतरे को देखते हुए और एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में बैंक ने शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है। अतः ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अपने ई-मेल पते को पंजीकृत कर लें।

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपॉजिटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं।
- शेयर धारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते को पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, ई एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग की नोटिस प्राप्त नहीं कर सके हैं ऐसे शेयर धारक अस्थायी रूप से अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते

onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

<p>KFin Technologies Pvt. Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001</p>	<p>Investors' Services Department Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com</p>
---	--

17. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Please note that copy of the Annual Report- 2020-21 has been sent in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.in"

Shareholders desirous of asking questions / queries pertaining to Annual Report 2020-21 in the 25th AGM may send their questions / queries in writing, duly signed (with DP ID / Client ID / Folio No.) so that the same be received to the Bank, on or before **05th July 2021**.

18. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:

On account of threat posed by COVID-19 and in terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions only in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting notice could not be serviced. Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> for sending the



हैं. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ई-मेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं.

- शेयर धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और ई-एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें.
- वैकल्पिक रूप से सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामलों में ई-मेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति, क्लाइंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ई-मेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं.

विशेष ध्यानाकर्षण हेतु अनुरोध:

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपॉजिटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 16 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 – पूंजी योजना 2021-22

निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य लागू विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों या अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए आम इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव करता है. क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए.

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है.

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे.

same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 16 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 2 – Capital Plan 2021-22

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.



किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को उपर्युक्त संकल्प (पॉ) में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा।

हमारे बैंक का कोई भी प्रवर्तक या निदेशक भगौड़ा आर्थिक अपराधी या इरादतन चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफ़ारिश करता है।

मद सं. 3 - आगे ले जाई गई (कैरी फॉरवर्ड) हानि के समंजन हेतु शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन

31 मार्च, 2021 को बैंक को कुल ₹ 11048.84 करोड़ रूपए की संचित हानि हुई है जबकि इस दौरान बैंक के तुलन पत्र में प्रतिभूति प्रीमियम राशि ₹ 42,360.57 करोड़ रही। इन संचित हानियों को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समान राशि से समायोजित किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम में कमी को अनुमोदित किए जाने पर 31 मार्च, 2021 को बैंक को हुई संचित हानि में कमी आएगी।

इस प्रस्तावित समंजन से बैंक की वित्तीय स्थिति सही एवं उचित रूप से सामने आएगी और प्रति शेयर बही मूल्य, इक्विटी पर रिटर्न, प्रति शेयर आय आदि जैसे किसी भी अनुपात को प्रभावित नहीं करेगा।

इस समंजन से बैंक को अपने वितरण योग्य रिजर्व में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। इससे बैंक अपने वास्तविक वित्तीय विवरण का प्रतिनिधित्व करने में भी सक्षम होगा जिससे इसके शेयरधारक लाभान्वित होंगे क्योंकि उन्हें उनकी शेयरधारिता का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और बैंक द्वारा दिए जाने वाले लाभांश के भुगतान के रूप में शेयरधारकों को लाभ के अवसरों की संभावना का भी पता लग सकेगा। यह प्रस्ताव बैंक को समयबद्ध रूप में अपनी टर्न अराउंड योजनाओं को पूरा करने हेतु बेहतर स्थिति में स्थापित करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 21 के अनुसार बैंक अपने शेयर प्रीमियम खाते से इस अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) में यथा संदर्भित चुकता पूंजी में कमी लाने हेतु प्रक्रिया का अनुपालन करके किसी राशि को विनियोजित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) के अनुसार बैंक समय - समय पर सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम अथवा बोनस जारी करके अथवा अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट द्वारा जुटाई गई प्रदत्त पूंजी है। वोट देने के हकदार शेयरधारकों की आम बैठक में पारित संकल्प द्वारा व्यक्तिगत रूप से मतदान करना अथवा जहां कहीं भी प्रौक्सी अनुमत हो वहां इसके द्वारा एवं इस प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या से कम से कम 3 गुना होने पर इसके हकदार एवं मतदाता शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी चुकता पूंजी में कमी कर सकता है।

चूंकि संचित हानियों को समायोजित करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में हुई कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा अतः एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है।

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

None of the promoters or directors of our Bank are fugitive economic offender or willful defaulter.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

Item Number 3 – Appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss

As on March 31, 2021, Bank is having a balance of accumulated losses of ₹ 11,048.44 crore as against the Securities Premium amount of ₹ 42,360.57 crore in the Balance Sheet. It is proposed to set off the accumulated losses with an equal amount lying in the Securities Premium Account. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium reduction, if approved and finalized would be that the accumulated losses as on 31st March 2021 will accordingly stand reduced.

The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book Value per share, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) etc.

The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its turnaround plans in a time-bound manner.

In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3 (2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or right issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement by resolution passed at the general meeting of shareholders entitled to vote, voting in person, or where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paid-up capital in any way.

As the proposed utilization of Share Premium Account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought.



बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 17(2) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार यदि बैंक शेयर प्रीमियम अथवा राजस्व रिजर्व खाते से कोई राशि विनियोजित करता है, तो ऐसे विनियोग की तिथि से 21 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेगा जिसमें इससे संबंधित परिस्थितियों को दर्शाया जाएगा. बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर इस आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2006/132 डीबीओडी बीपी. बीसी.सं 31/21.04.018 /2006-07 दिनांक 20 सितंबर, 2006 के अनुसार सांविधिक आरक्षित निधियों अथवा किसी अन्य रिजर्व निधियों से विनियोग से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है.

तदनुसार बैंक द्वारा इसका अनुमोदन लिया जाएगा. शेयर प्रीमियम खाते में की गई कटौती जिसमें शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके लाभ/हानि खाते में डेबिट बैलेंस का सेट ऑफ शामिल है, इसका तात्पर्य बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों को कोई मुआवजा देना नहीं होगा. तदनुसार प्रीमियम खाते में कमी के पश्चात बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना एवं शेयरधारिता का पैटर्न अपरिवर्तित रहेगा.

क्रम सं.	संवर्ग	शेयर प्रीमियम खाते में कमी से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते में कमी पश्चात	
		धारित इक्विटी शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रमोटर की धारिता- भारत सरकार	330,81,84,689	63.97%	330,81,84,689	63.97%
2	नैर प्रमोटर का धारिता- पब्लिक	186,31,77,490	36.03%	186,31,77,490	36.03%
	कुल	517,13,62,179	100.00%	517,13,62,179	100.00%

विशेष संकल्प के अनुसार बैंक की संचित हानि का प्रस्तावित समंजन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा.

बैंक के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त प्रस्ताव में इच्छुक अथवा संबंधित नहीं माना जाएगा.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को उपर्युक्त संकल्प (पों) में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा.

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफारिश करता है.

मद सं. 4 - बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित दो निदेशक शेयरधारकों, भारत सरकार को छोड़कर, का प्रतिनिधित्व करते हैं:

- i. श्रीमती सौंदरा कुमार (24.12.2020 से 23.12.2023 तक प्रभावी)
- ii. श्री श्रीनिवासन श्रीधर (12.12.2018 से 11.12.2021 तक प्रभावी)

Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium or Revenue Reserve Accounts, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstance relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BPBC. No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the statutory reserves or any other Reserves.

Accordingly, Bank will be seeking the approval for the same. The reduction of Share premium Account which involves set off of debit balance in P & L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Premium Account will remain unchanged.

Sr. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		Number of Equity Shares Held	Percentage of shareholding	Number of Equity Shares Held	Percentage of shareholding
1	Promoter's Holding- Government of India	330,81,84,689	63.97%	330,81,84,689	63.97%
2	Non-Promoter Holding: Public	186,31,77,490	36.03%	186,31,77,490	36.03%
	Total	517,13,62,179	100.00%	517,13,62,179	100.00%

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

Item Number 4 – Election of One Shareholder Director

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Two Directors representing Shareholders other than the Central Government:

- i. Smt. Soundara Kumar (w.e.f. 24.12.2020 to 23.12.2023)
- ii. Shri Srinivasan Sridhar (w.e.f. 12.12.2018 to 11.12.2021)

मार्च 2021 में बैंक द्वारा हाल ही में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के बाद बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 28.40% से बढ़कर 36.03% हो गई है, जिससे बैंक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से 3 (तीन) निदेशकों का चयन करने हेतु पात्र हो गया है। इस प्रकार बैंक को एक और शेयरधारक निदेशक चुनने का अधिकार है। इस दिशा में, निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। (शेयरधारक निदेशक)

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा उपयुक्त संबद्ध अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना एवं दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव या तो बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की जांच और निदेशक मण्डल की नामांकन समिति द्वारा उन्हें 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति में पाए जाने के बाद अथवा तत्पश्चात् वार्षिक आम बैठक में चुनाव के बाद होगा। इस तरह चुने गए निदेशक अपने चुनाव के दिन से अगले दिन को अपना पदभार संभालेंगे और तीन वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेंगे।

निदेशक के चयन हेतु अन्य प्रावधान :

ए. विधिक प्रावधान

इस विषय में लागू विभिन्न अधिनियम/विनियमन/योजना/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

अधिनियम/ विनियम/ योजना/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ महत्वपूर्ण लाभ ➤ आम निदेशकों का निषेध ➤ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(आई) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/ होगी जब तक कि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के मानदंड पर या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता। ➤ ऐसे चुने गए निदेशक जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार ➤ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य

The Public Shareholding in the Bank after the recent Qualified Institutions Placement (QIP) by the Bank in March 2021, has increased from 28.40% to 36.03% there by entailing the Bank to elect 3 (three) Directors from Shareholders other than the Central Government. Thus the Bank is entitled to elect one more Shareholder Director. Towards this end, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors or subsequent election at the Annual General Meeting. The Shareholder Director so elected shall assume office from the day next to the day of his election and shall hold office for a period of three years.

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy



अधिनियम/ विनियम/ योजना/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताओं के बारे में ➤ निदेशक कार्यालय को खाली करना ➤ निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना ➤ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना ➤ निदेशकों द्वारा कुछ निश्चित क्षेत्रों, जिसमें उनकी रूचि है, का प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैंक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➤ आम बैठकों में वोट देना ➤ आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की जांच ➤ चुनाव विवाद ➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➤ प्रॉक्सी

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर. नियुक्ति.सं: 9/ 29.67.001/ 2019-20 दिनांक 02.08.2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) तथा 9 (3बी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड
दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ.न. 16/51/2012- बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालिक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश, यदि कोई हों.		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित उम्मीदवारों के उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय निदेशक मंडल की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा.
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015.		निदेशकों के संबधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

RBI Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25 th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 read with OM dated 3 rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियम के संबद्ध अंशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो उपयोगकर्ता द्वारा देखे/ डाउनलोड किए जा सकते हैं. ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 23 जून, 2021 को अथवा उससे पहले उनके कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जाएंगे.

बी. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **विनिर्दिष्ट/ नियत तारीख** अर्थात् **शुक्रवार, 04 जून, 2021** को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भागीदारी अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने** की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में एजीएम में उपस्थित रहेंगे.

सी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

- (1) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:
 - ए) यदि उसे, किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा
 - बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
 - सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा
 - डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/ करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/ करती है. इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं.
- (2) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ.नं. 16/51/2012-बीओ. आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितंबर 2013 के मानदंडों के अनुसार उपयुक्त एवं समुचित व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.bankofbaroda.co.in. which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **23rd June 2021**.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 04th June 2021** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (1) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- (2) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.



डी. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनःचुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते, वह निदेशक अपने पद पर लगातार छः वर्ष से अधिक की अवधि तक न रहा हो।

ई. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है तथा धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक का निदेशक बनना चाहता हो, उसे-

ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.नियुक्ति.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है. (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन)

बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा 9 (3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(1) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- i. agriculture and rural economy
- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

(RBI vide its circular no.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

b) represents the interest of depositors; or

c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure

लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं को ध्यान में रखें।

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

एफ. भारतीय रिजर्व बैंक की “उपयुक्त एवं समुचित” मानदंड संबंधी अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3ए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना की मुख्य बातें

“उपयुक्त एवं समुचित” स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए) प्राधिकार :

बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक “नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति” [इसके बाद से समिति कहा जाएगा] का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा] से तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे। एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की “उपयुक्त एवं समुचित” स्थिति का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस समिति में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक और कम से कम एक निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति से होना चाहिए।

बी) पद्धति एवं प्रक्रिया :

बैंकों को अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर समिति उम्मीदवारिता को स्वीकार करने या अन्यथा संबंधी निर्णय लेगी तथा जहां कहीं आवश्यक हो, समुचित प्राधिकारी/ व्यक्तियों की टिप्पणी लेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।

to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA Notification

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper” status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Shareholder from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/ clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format. from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.



सी) मानदंड :

नामांकन एवं परिश्रमिक समिति को प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण बोर्ड के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

- (i) **आयु** – निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु उम्मीदवार की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- (ii) **शैक्षणिक योग्यता** – उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए.
- (iii) **अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र** – उम्मीदवार के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नियुक्ति. बीसी.सं 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित एसबीआई अधिनियम की धारा 19A(a)/ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3A)(A), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किसी एक या अधिक विषय पर विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.
- (iv) अयोग्यता: एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित "निदेशकों की अयोग्यता" के अतिरिक्त;

ए) उम्मीदवार को किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए.

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा या उप-पैरा (सी) के उद्देश्य से "बैंक" से आशय बैंकिंग कंपनी, समकक्ष न्यू बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है.

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.
- (iii) **Experience and field of expertise** – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
- (iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

- सी) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अलग-अलग समय पर किसी भी श्रेणी में -6- वर्ष निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता.
- डी) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए.
- ई) उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए.
- एफ) उम्मीदवार को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो जिस बैंक के लिए नामांकन किया गया है उसमें वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.
- जी) उम्मीदवार को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.
- (v) **अवधि** - निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते वह निदेशक लगातार या अलग-अलग समय पर -6- वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा.
- (vi) **व्यावसायिक प्रतिबंध**
- ए) उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न ही व्यावसायिक संबंध होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नुकसान पहुंचाए.
- बी) उम्मीदवार का बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ पेशेवर संबंध नहीं होना चाहिए.
- बशर्ते कि निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करते समय उम्मीदवार का बैंक के साथ ऐसा संबंध मद (बी) के तहत अपेक्षा को पूरा करता है, उम्मीदवार समिति के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निदेशक के रूप में उसका निर्वाचन होता है
- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- (v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- (vi) **Professional Restrictions** –
- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.
- Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship



तो बैंक के साथ ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा और निर्वाचन पश्चात बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा.

- (vii) **ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्ठा** – उम्मीदवार को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और उसे किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:

- ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक पद धारण करने से पहले संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख;
- बी) प्रति वर्ष 31 मार्च को एक आम घोषणापत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.
- सी) यदि निर्वाचित निदेशक द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे परिवर्तनों को शामिल किया गया हो.

बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है. साथ ही,

- ए) निर्वाचित सीए निदेशक उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण और उसके स्वयं/ फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के क्रेडिट/ निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता न करने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएं. निर्वाचित सीए निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाना चाहिए कि वह पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें और इस आशय से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें.
- बी) निर्वाचित निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को उन संस्थाओं सहित जिनमें वह रुचि रखते हैं, से दूर रखते हुए तथा बैंक के क्रेडिट / निवेश निर्णयों में प्रतिभागिता न करते हुए व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करें.
- (सी) ऐसे व्यक्ति जो उस बैंक के निर्वाचित निदेशक हैं, को ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के पश्चात दो साल की अवधि के लिए कोई भी पेशेवर कार्य आबंटित नहीं किया जाएगा.

जहां निर्वाचित निदेशक:

- (ए) निम्नलिखित में विफल होते हैं
- (i) वचन विलेख या घोषणा प्रस्तुत करने में; या
- (ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या
- (iii) जहां उनका हित निहित हो वहां ऋण / निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता से बचने में; या
- (बी) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या
- (सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित नहीं' के रूप में

with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

- (vii) **Track record and integrity** - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/ his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

- (a) fails to
- (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
- (ii) make proper disclosures; or
- (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned

घोषित करते हैं, ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप-धारा (2)/ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा और वे इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

समिति नए निदेशक (नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति) के रूप में निर्वाचन के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित मानदंडों का अनुपालन करेंगीं, तथापि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व-संशोधित मानदंडों के अनुसार अपनी वर्तमान शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

जी) भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई 2016 के दिशानिर्देश

इसके अलावा भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति शेरधारक निदेशक की “उपयुक्त तथा समुचित स्थिति” का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगीं। भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसका सारांश निम्नलिखित है:

ए) आम

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/ नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
2. नामिति की उपयुक्तता आम शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछले संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।

बी) अनुभव

1. आमतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कार्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे

above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20th JULY 2016

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining “Fit and Proper Status” of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum



ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, को किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।
4. 20 वर्ष का अनुभव (लेखापरीक्षा अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी।
5. हालांकि मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/ अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

सी) शिक्षा

अशासकीय निदेशक (एनओडी) बिजनेस प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

निदेशक की आयु, सर्च/ नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को विशिष्ट क्षेत्र में आमतः 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यता

- i. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान (एफआई)/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो उसे किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाएगा।
- ii. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति सांसद (एमपी), विधायक (एमएलए), पार्षद (एमएलसी) तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय

10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/ FI/RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for

- निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो.
- ii. ऐसे व्यक्ति को जो पहले बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के निदेशक मण्डल में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6- वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता.
 - iii. एक सनदी लेखाकार यदि उनका/ उसका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.
 - iv. एक सनदी लेखाकार यदि उनका/ उसका फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

जी) अवधि

किसी भी एनओडी को बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में नियमित -6- वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/ शेयर धारक निदेशक रहा है.

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के ऑफिस के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामले का अलग से परीक्षण किया जाएगा.

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में देश के सभी छः जोन- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर एस नं. 576, आरसी दत्त रोड, सेंटर पॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा (गुजरात) – 390007 के पास **14 जून 2021 से 23 जून 2021** तक सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश, रविवार तथा दूसरे एवं चौथे शनिवार के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को **दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक** शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु ₹ 5/- की दर से राशि के भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा.

आई. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 64 में वर्णित और संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक

- appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
 - iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
 - v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the **Assistant General Manager**, Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara (Gujarat)-390007 on all working days from **14th June 2021 to 23rd June 2021** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹ 5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended,



प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) बैंक के प्रधान कार्यालय, वडोदरा/ कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में 14 जून, 2021 से उपलब्ध होगी और वह "बैंक ऑफ़ बड़ौदा" के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक या प्रत्यक्ष क्रेडिट द्वारा जारी ₹ 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/ पे ऑर्डर के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक उम्मीदवार को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग निर्वाचन में कैनवास करने के लिए किया जाएगा तथा उसका अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा.

जे. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यक्षीन स्वीकार्य होगा:

- विनियमन के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह **विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख शुक्रवार, 4 जून, 2021** को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि निर्वाचित किया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए.
- उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्य प्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.
- शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है

a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **14th June 2021** for purchase by Shareholders on payment of ₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank or direct credit in favor of "Bank of Baroda". The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday 04th June 2021** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer

और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमन या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा।

- डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् **23 जून, 2021 तक** बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब 'विनियम' के रूप में संदर्भित होगा) के तहत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्त के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं समुचित' पाया गया हो।
- ई) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमन द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए हैं। (संपूर्ण नोटिस, जिसमें यह प्रोफार्मा भी शामिल है, बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है।

के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर **'बैंक ऑफ बड़ौदा निदेशकों का चयन- जुलाई 2021'** लिखा हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं)** को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को वार्षिक आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् **23 जून, 2021 को सायं 4:00 बजे तक** या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।

- ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र;
- बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म
- सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा

of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- d) As on **23rd June 2021**, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.in)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Directors - July 2021"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before **4.00 p.m., on 23rd June 2021**:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;



पत्र तथा वचन पत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण-पत्र अर्थात् स्व-प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो.

डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् 24 जून, 2021 को बैंक द्वारा नामांकनों के स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/ निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा जांच किए जाने के अधीन हैं. चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध समान स्वरूप के हैं, अतः बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से जो अधिक सख्त हों, उस पर विचार कर सकता है.

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित आगे की जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है.

डी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार/रों को उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन आयोजित नहीं किया जाएगा. नए चुने गये निदेशक चुनाव की तारीख के अगले दिन से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे.

ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो चुनाव होने की दशा में उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएंगे.

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.,**

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on **24th June 2021**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) After the scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee, if there is only **One** valid nomination/s for one vacancy to be filled by the election, the candidate/s so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/ her name/s and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the election in Annual General Meeting will not be conducted. The newly elected director will assume office from the day next to the date of Election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

एम. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह दिनांक 03 जुलाई, 2021 को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात् शाम 4.00 बजे तक किसी भी समय, मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या gm.ops.ho@bankofbaroda.com अथवा companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र का ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

एन. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा।


ओ. उद्धरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है। जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पी. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कारोबार की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



(संजीव चड्ढा)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 07 जून, 2021

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 4.00 p.m. on 03rd July 2021** by sending a signed letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA



Sanjiv Chadha

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date 07 June, 2021



क्र सं.

नामांकन फार्म

प्रति,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय,

वडोदरा.

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक _____, मई 2021 के एजीएम नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री _____
 _____ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार 04 जून, 2021** अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को प्रत्येक ₹
 2/- के _____ इक्वटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी _____
 _____ निवासी _____ को **गुरुवार, दिनांक 08 जुलाई, 2021** को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूँ/करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

- क) यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधि प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
- ख) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.
- ग) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

Sr. No. **NOMINATION FORM**

To
Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your AGM Notice dated _____ May 2021, I, _____
a Shareholder of Bank of Baroda holding _____ equity shares of ₹ 2/- each fully paid up as on **Friday, 04th June 2021**
i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. _____
_____ son / daughter / wife of _____ residing at _____
_____ for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the
Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)
Act, 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Thursday, 08th July 2021**.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती _____
 _____, निवासी _____

एतद्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि :-

- ए) मैं 04 जून, 2021 अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के 2/- रुपये प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूँ और घोषणा करता हूँ कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता हूँ, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रहेगी.
- बी) मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ/ करती हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ/ करती हूँ, और **(जो लागू न हो उसे काट दें)**
- सी) मैं नामांकन क्रमांकस्वीकार करता हूँ/ करती हूँ; और
- डी) मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में उम्मीदवार बनना चाहता/ चाहती हूँ; और
- ई) मैं, बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैटक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ और
- एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; तथा
- जी) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूँ/ करती हूँ अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ.

साथ ही मैं घोषणा करता हूँ:

- एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंने कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या उनके साथ ऋण निपटान समझौता नहीं किया है; तथा
- आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा
- जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा
- के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता हूँ.
- एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफएचसी धारक किसी अन्य बैंक के बोर्ड में निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूँ.
- एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ;
- एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-2 समय पर -6- वर्षों के लिए निदेशक नहीं रहा हूँ.
- ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूँ.
- पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) का पद पर कार्यरत नहीं हूँ.

**DECLARATIONS**

I, _____ son/daughter/wife of Shri/Smt _____

resident of _____

_____ hereby confirm that :

- a. I am a Shareholder holding equity shares of ₹ 2/- each of the Bank as on **04th June 2021**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
(*Delete whichever is not applicable.)
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- o. I am not engaging in the business of stock broking.
- p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)



- क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूँ।
- आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूँ जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है।
- एस) मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूँ, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफ़एचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन देता हूँ।
- यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।
- वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ;
- डबल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ; तथा
- एक्स) मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करूंगा।
- वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं।
- ए) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा हूँ:

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

- बी. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

नोट: उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/संशोधित कर सकते हैं

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेसेस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर।



- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.
- s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.
- t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and
 - a. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

- b. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.



बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा
 प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र
 (उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट
 साइज फोटो
 चिपकाएं

दिनांक2021 को उपयुक्त अनुलग्नकों सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र					
I	उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण				
	ए	नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	बी	वर्तमान पता			
	सी	राष्ट्रीयता			
	डी	जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और उस तारीख को आयु	-- / -- / ---- आयु: -- वर्ष -- माह --- दिन		
	ई	शैक्षणिक योग्यताएं			
	एफ	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
	जी	आधार संख्या			
	एच	(i) स्थायी खाता संख्या(पैन): (ii) आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक की कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) फाइल की जाती है : (iii) पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई विवरणी (यों) और करों के भुगतान का विवरण	फाइल करने की तारीख भुगतान की गई कर की राशि (रुपए में)		
	आई	स्थायी पता			
	जे	ई-मेल का पता/ वैकल्पिक ई-मेल का पता: एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या: मोबाइल संख्या:			



Name of Bank: Bank of Baroda
Declaration and Undertaking by a Proposed Director
 (with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2021					
I	Personal details of Candidate				
	a	Name	First Name	Middle Name	Last Name
	b	Present Address			
	c	Nationality			
	d	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	-- / -- / ---- Age: -- years -- months -- days		
	e	Educational Qualifications			
	f	Director Identification Number (DIN)			
	g	Aadhaar Number			
	h	(i) Permanent Account Number (PAN): (ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward: (iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of tax paid (INR)	
	i	Permanent Address			
	j	E-mail Address/ Alternate e-mail Address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			



के	<p>संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव</p> <p>[बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), • बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए) • एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए), <p>जैसा भी मामला हो, का संदर्भ लें.]</p>													
एल	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण)													
एम	जहां कार्य किया है उस संगठन (नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, अवमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि सहित विगत न्यूनतम दस वर्षों को शामिल करते हुए पिछला व्यवसाय.													
एन	सनदी लेखकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें:													
	<p>(i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या</p> <p>(ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तारीख</p> <p>(iii) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता</p> <p>(iv) फर्म/फर्मों द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण /परीक्षणों के विवरण</p>													
ओ	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर(रों) का नाम जहां वह प्राथमिक खाता धारक है. डीमैट खाता(ते) यदि कोई हो, तो उसका विवरण (प्रति संलग्न करें)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>शाखा</th> <th>खाते का प्रकार</th> <th>खाता संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या								
बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या											
पी	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)													
क्यू	कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित हो													
II	प्रस्तावित निदेशक से संबंधित संबंध													
ए	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें]													



k	Relevant Knowledge and Experience [Refer <ul style="list-style-type: none">Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949,Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]													
l	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)													
m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.													
n	In case of a Chartered Accountant, indicate the following: (i) Membership Number of ICAI (ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (iii) Name and Address of the registered firm/s (iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s													
o	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current /loan accounts) where he/she is the primary account holder. Details of Demat account(s) held if any (attach copy)	<table border="1"><thead><tr><th>Name of the Bank</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number								
Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number											
P	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)													
q	Any other information relevant to Directorship of the Bank													
II	Relevant Relationships of of proposed director													
a	List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]													



बी	<p>(i) प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें). बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए.</p> <p>(ii) ऐसी संस्थाएं जिनमें वह लाभकारी स्वामित्व रखता हो/रखती हों [कंपनी अधिनियम, 2013 धाराएं 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें]</p> <p>(iii) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में पद ग्रहण किया गया हो.</p>																	
सी	<p>प्रस्तावित और मौजूदा प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) * के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो.</p> <p>"पर्याप्त हित" (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम ₹ 5 लाख से अधिक हो अथवा कंपनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो;</p> <p>(ii) एक फर्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जो उक्त फर्मों के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;</p>	<table border="1"> <tr> <td>कंपनी/ फ़र्म का नाम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>निगमीकरण का क्षेत्र</td> <td></td> </tr> <tr> <td>शेयरों की संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल पीयूसी की % शेयर धारिता</td> <td></td> </tr> <tr> <td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.</td> <td></td> </tr> </table>	कंपनी/ फ़र्म का नाम		निगमीकरण का क्षेत्र		शेयरों की संख्या		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य		धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य		कुल पीयूसी की % शेयर धारिता		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)		क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.	
कंपनी/ फ़र्म का नाम																		
निगमीकरण का क्षेत्र																		
शेयरों की संख्या																		
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य																		
धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य																		
कुल पीयूसी की % शेयर धारिता																		
लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)																		
क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.																		
डी	विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता																	
ई	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/ सलाहकार है अथवा रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/किया गया था)																	
एफ	निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.																	
जी	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उसने अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने बैंक/ किसी अन्य बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से ऋण सुविधाओं की चुकौती में चूक की है अथवा विगत 10 वर्षों में चूक हो चुकी हो.																	
एच	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह एक चूककर्ता है या किसी बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है.																	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड																	
ए	निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां																	

	<p>b (i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately.</p> <p>(ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]</p> <p>(iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held.</p>																	
	<p>c List of entities, existing and proposed, in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.</p> <p><i>“substantial interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</i></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="909 584 1209 665">Name of the company / firm</td> <td data-bbox="1209 584 1481 665"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 665 1209 712">County of incorporation</td> <td data-bbox="1209 665 1481 712"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 712 1209 756">Number of shares</td> <td data-bbox="1209 712 1481 756"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 756 1209 832">Face value of each shares</td> <td data-bbox="1209 756 1481 832"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 832 1209 909">Total face value of share holding</td> <td data-bbox="1209 832 1481 909"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 909 1209 986">Shareholding as % of total PUC</td> <td data-bbox="1209 909 1481 986"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 986 1209 1062">Beneficial interest (in value as well as % terms)</td> <td data-bbox="1209 986 1481 1062"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 1062 1209 1166">Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013</td> <td data-bbox="1209 1062 1481 1166"></td> </tr> </table>	Name of the company / firm		County of incorporation		Number of shares		Face value of each shares		Total face value of share holding		Shareholding as % of total PUC		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013	
Name of the company / firm																		
County of incorporation																		
Number of shares																		
Face value of each shares																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total PUC																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013																		
	<p>d Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India</p>																	
	<p>e Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held)</p>																	
	<p>f Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank</p>																	
	<p>g Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/ any other bank/ NBFC/any other lending institution.</p>																	
	<p>h Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/NBFC/any other lending institution.</p>																	
<p>III</p>	<p>Records of professional achievements</p>																	
<p>A</p>	<p>Professional achievements relevant for the directorship</p>																	



IV.	उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो	
ए	यदि वह किसी व्यावसायिक संस्था/ निकाय का सदस्य है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरुद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.	
बी	पूर्व में उनके और /अथवा उपरोक्त II (बी) और (ई) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.	
सी	उनके विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
डी	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
ई	क्या वह अथवा II (बी) और (ई) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेक्षण के अध्यक्षीन रखा गया है?	
एफ	क्या उनको कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनियम/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें.	
जी	क्या वह कभी सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आए हैं? (हालांकि उम्मीदवार द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नहीं होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/ निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)	
V.	मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने के लिए संबंधित अन्य कोई सूचना.	
<p style="text-align: center;">वचनपत्र</p> <p>मैं पुष्टि करता/ करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूँ. मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से खुद को दूर रखने और संस्थाओं जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूँ में शामिल बैंक के ऋण/ निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेने का वचन देता/देती हूँ. मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ.</p>		

IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
a	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V	Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/ investment decisions involving entities in which I am interested.

I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate



स्थान:		
दिनांक:	उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
अनुलग्नक:		
नोट :		
जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुबंध में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंधों सहित) पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए.		
नामांकन और पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की राय/टिप्पणी		
स्थान:		अध्यक्ष के हस्ताक्षर
दिनांक:		
समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर
स्थान:		
दिनांक:		



Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee:

--	--	--

Place:		Signature of the Chair
Date:		

Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member

Place :

Date :